

LOHARDAGA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 645155200921055533

Date : 20-09-2021

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2021-2022

श्री/श्रीमती/सुश्री NIKHAT PARWEEN W/O NEZAR ALAM,

मोहल्ला SOMAR BAZAR AMLA TOLI, OLD NAGARPALIKA GALI LOHARDAGA LOHARDAGA

LOHARDAGA, 835302

8340629203

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0100000208000A1 वार्ड सं 10 हुआ है, आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 67424/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	337.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		337.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, LOHARDAGA NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- LOHARDAGA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्लिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

भूमि संबंधित प्रतिवेदन

आवेदक का नाम तथा पता :- मिहल परवीन जौरी नैजार थालिम
खाने अमला दे.जी लोहरदगा

पंजी II (Tenants Ledger) के आधार पर निम्नलिखित ब्यौरे का जमीन की जमाबन्दी का प्रतिवेदन निम्नलिखित है :-

मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	जमीन का प्रकार	रजिस्टर II / खतियान से संबंधित प्रतिवेदन
1	2	3	4	5	6	7
नदिया	195	छमूठ	422	045	खेती	<p>आवेदक भूमि मौजा नदिया थाना नं० 195 खाता नं० छमूठ प्लॉट नं० 422 रकबा 045 कजरिये काबिल - खारिज काट घरे 502/96-97 शरि स्वीडन पश्चात पंजी II के पंज नं० 81 भाग नं० 04 इपरवन्दी में मिहल परवीन जौरी नैजार थालिम के नाम से अमावन्दी दर्ज है।</p> <p>कर्ममान में उपर वर्णित रकबा पंजी II में कचत है।</p> <p>25/8/21</p> <p>राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर हल्का नं० 02</p> <p>अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर</p>



जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं जांचोपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।
इस भूमि से संबंधित किसी भी विवाद की सूचना अंचल कार्यालय को नहीं है।

राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर
हल्का नं० :- 02

अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी
लोहरदगा